संख्या-684/2017/1150/22-2-2017-17(300)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री गंगाराम, निवासी जनपद- एटा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री गंगाराम, निवासी-सुलहपुर, थाना-मिरहची, जनपद-एटा का रहने वाला है। बन्दी दिनांक 19-02-1987 को अपने मौसा के यहां आया हुआ था। अचानक बिजली चले जाने तथा अन्धेरे का फायदा उठाकर बन्दी ने रामवीर की नाबालिग पुत्री मीरा को पास के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। चीख निकलने पर गांव के अन्य लोग आ गये तथा बन्दी भाग गया। थाने पहुंचने से पहले मीरा कुमारी की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-205/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302,366,376 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 27.01.1988 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील संख्या-262/1988 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-05-1990 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.12.2016 तक 30 वर्ष 00 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 40 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 61 वर्ष लगभग है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। बन्दी दिनांक 19-02-1987 को अपने मौसा के यहां आया हुआ था। अचानक बिजली चले जाने तथा अन्धेरे का फायदा उठाकर बन्दी ने रामवीर की नाबालिग पुत्री मीरा को पास के खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। चीख निकलने पर गांव के अन्य लोग आ गये तथा बन्दी भाग गया। थाने पहुंचने से पहले रामवीरकी पुत्री मीरा की मृत्यु हो गयी। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा नावालिग लड़की का वलात्कार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कर हत्या करने जाने जैसाजघन्य अपराधकारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमर सिंह पुत्र श्री गंगाराम को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमर सिंह (बन्दी संख्या-7585) पुत्र श्री गंगाराम, निवासी जनपद-एटा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-684/2017/1150/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।